3093/2023

(वाई0एस0 रावत) 93093/2023

संख्या:– PVD5-A/1/2023-XXX-5-Personnel and Vigilance

प्रेषक,

डॉ0 एस.एस. सन्धु,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड सरकार।
3. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–5 देहरादून: दिनांक 21 जनवरी, 2023

विषयः राजकीय कार्यप्रणाली को पूर्णतः भ्रष्टाचार मुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सरलीकरण, समाधान, निस्तारण एवं सन्तुष्टि का मूलमन्त्र देते हुए राजकीय कार्य प्रणाली को पूर्णतः भ्रष्टाचार मुक्त किए जाने का आह्वान किया है और इस प्रयास में समस्त राजकीय कार्मिकों के साथ–साथ राज्य के समस्त नागरिकों एवं संस्थाओं से भी सहयोग की अपेक्षा की गई है। राजकीय कार्यप्रणाली को पूर्णतः भ्रष्टाचार मुक्त किए जाने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के मामलों पर त्वरित कार्यवाही किए जाने के दृष्टिगत टोल फ्री नम्बर–1064 भी प्रारम्भ किया गया है।

2– राज्य सरकार के उक्त प्रयासों से राजकीय कार्यप्रणाली में निरंतर सुधार के प्रयास प्रत्येक स्तर पर किए जा रहे हैं और सुधार परिलक्षित भी हुए हैं, तथापि इस दिशा में अभी और प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय कार्यप्रणाली को पूर्णतः भ्रष्टाचार मुक्त किए जाने के राज्य सरकार के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्धजनों, आम नागरिकों का भी सहयोग लेते हुए अभिनव प्रयास कर अपने अधीनस्थ विभाग/कार्यालयों में ऐसी कार्य संस्कृति विकसित करें कि आम नागरिकों की समस्याओं के निराकरण का कार्य व कोई भी राजकीय कार्य त्वरित, नियमसंगत, पूर्ण पारदर्शिता के साथ एवं बगैर किसी भ्रष्टाचार के सम्पादित हो सके। उक्त के साथ ही यह भी आवश्यक है कि आपके अधीन विभागों/कार्यालयों में किसी भी प्रकार से किसी भी स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार के विरूद्ध तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इस सम्बन्ध में आपके स्तर से किए जाने वाले अभिनव प्रयासों से भी इस कार्यालय को अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

अतः राजकीय कार्य प्रणाली को पूर्णतः भ्रष्टाचार मुक्त किए जाने के निमित्त उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
Signed by Sukhbir Singh Sandhu
Date: 21-01-2023 17:47:20
(डा0 एस0एस0 सन्धु)
मुख्य सचिव

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431 Web- http:/govt.ua.nic.in/pwd E-Mail-cepwdua@rediffmail.com

पत्रांक– 162 /458व्यक–सा0/2023 दिनांक 13/02/2023

सेवा में,

1– समस्त मुख्य अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड ।

2– समस्त अधीक्षण अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड।

3–समस्त अधिशासी अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड।

विषयः– राजकीय कार्यप्रणाली को पूर्णताः भ्रष्टाचार मुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–5 ने अपने पत्र संख्या–93093/2023PVD5-A/1/2023–XXX-5-Personnel Vigilance दिनांक–21.01.2023 द्वारा द्वारा अवगत कराया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सरलीकरण समाधान, निस्तारण एवं सन्तुष्टि का मूलमंत्र देते हुए राजकीय कार्य प्रणाली को पूर्णतः भ्रष्टाचार मुक्त किए जाने का आह्वान किया है और इस प्रयास में समस्त राजकीय कार्मिकों के साथ–साथ राज्य के समस्त नागरिकों एवं संस्थाओं से भी सहयोग की अपेक्षा की गई है। राज्य कार्यप्रणाली को पूर्णतः भ्रष्टाचार मुक्त किए जाने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के मामलों पर त्वरित कार्यवाही किए जाने के दृष्टिगत टोल फ्री नम्बर–1064 भी प्रारम्भ किया गया है।

2– राज्य सरकार के उक्त प्रयासों से राजकीय कार्यप्रणाली में निरंतर सुधार के प्रयास प्रत्येक स्तर पर किए जा रहे है और सुधार परिलक्षित भी हुए हैं, तथापि इस दिशा में अभी और प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

राजकीय कार्यप्रणाली को पूर्णतः भ्रष्टाचार मुक्त किए जाने के राज्य सरकार के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्धजनों, आम नागरिकों का भी सहयोग लेते हुए अभिनव प्रयास कर अपने अधीनस्थ विभाग/कार्यालयों में ऐसी कार्य संस्कृति विकसित करें कि आम नागरिकों की समस्याओं के निराकरण का कार्य व कोई भी राजकीय कार्य त्वरित, नियमसंगत, पूर्ण पारदर्शिता के साथ एवं बगैर किसी भ्रष्टाचार के सम्पादित हो सके। उक्त के साथ ही यह भी आवश्यक है कि आपके अधीन विभागों/कार्यालयों में किसी भी प्रकार से किसी भी स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार के विरूद्ध तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। तथा राजकीय कार्य प्रणाली को पूर्णतः भ्रष्टाचार मुक्त किए जाने के निमित्त उपर्युक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः शासकीय पत्र संख्या–93093/2023PVD5-A/1/2023–XXX-5-Personnel Vigilance दिनांक–21.01.2023 की प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्न–यथोपरि।

9/2/23

(दीपक कुमार यादव)
मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान)

प्रतिलिपिः– प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून महोदय के संज्ञानार्थ ।

मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान)